

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक- 235 /मीरजापुर/ 33 दिनांक, मीरजापुर, जुलाई 23, 2016
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ ।

विषय- इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० द्वारा वाराणसी-रीवां मार्ग (NH-7) न्यू NH-132 के कि०मी० संख्या- 93 की दांयी पटरी में ग्राम -बामी, तहसील-लालगंज, जिला मीरजापुर के आराजी संख्या- 1743,1744 में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट में प्रवेश / निकास मार्ग हेतु 0.1454 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव ।

सन्दर्भ- प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग का पत्र संख्या- 3728/मीरजापुर/16 दिनांक 27.06.2016 ।

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग ने अपने सन्दर्भित पत्र द्वारा इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० द्वारा वाराणसी-रीवां मार्ग (NH-7) न्यू NH-132 के कि०मी० संख्या- 93 की दांयी पटरी में ग्राम -बामी, तहसील लालगंज, जिला मीरजापुर के आराजी संख्या- 1743,1744 में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट में प्रवेश / निकास मार्ग हेतु 0.1454 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव संख्या- FP/UP/OTHER/ 19008/2016 की ऑन लाइन सबमिशन कर 03 प्रतियों में मय संस्तुति सहित इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त प्रस्ताव की इस स्तर से ऑन लाइन सबमिशन कर मय संस्तुति सहित दो प्रतियों में संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(के०एम०ठाकुर)

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या अ/समदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय वनधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में किसी भी दशा में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने पावे ।

(के०एम०ठाकुर)

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर